जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन/2017/500 दिनांक :24.07.2017

प्रति,

(1) विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालायें
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

(2) प्राचार्य/प्राचार्या,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त शासकीय/अशासकीय
महाविद्यालय जीवाजी
विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) समूह 'ख' के अंतर्गत विश्वविद्यालय सभा हेतु शिक्षकों के निर्वाचन के सम्बन्ध में।

संदर्भः पत्र क्र. एफ/अकादमी/सभा/शिक्षक निर्वाचन/2017/478 दिनांक 13.06.17

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20(1) <u>समूह 'ख'</u> के अंतर्गत विश्वविद्यालय सभा की सदस्यता हेतु भिन्न-भिन्न संवर्गो में शिक्षकों का निर्वाचन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :-

1	20(1) दस	प्राचार्य (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के चार प्राचार्य, जिनमें से एक महिला)
2	20(1) ग्यारह	आचार्य (विश्वविद्यालयीन तीन)
3	20(1) बारह	आचार्य (महाविद्यालयीन दो)
4	20(1) तेरह	1. उपाचार्य(Reader)/प्राध्यापक(Lecturar)(विश्वविद्यालयीन दो) 2. सहायक आचार्य (महाविद्यालयीन तीन)

उक्त संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि, आपके महाविद्यालय से चाही गई जानकारी आज दिनांक तक इस कार्यालय में अप्राप्त है। वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा भोपाल द्वारा विभिन्न संवर्गो (प्राचार्यो/शिक्षकों) के स्थानांतरण किये गये हैं।

अतः आप अपने अध्ययनशालाओं एवं महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त नियमित प्राचार्य/शिक्षकों की सूची (संवर्ग सहित) शीघ्र ही विश्वविद्यालय कार्यालय की ओर भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि, विश्वविद्यालय सभा हेतु शिक्षकों का निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधिक मतदाता सूची तैयार कर जारी की जा सके।

साथ ही अशासकीय महाविद्यालयों के ऐसे शिक्षक जिनका अनुमोदन परिनियम 28(17) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा किया जा चुका है उनके नाम भी सूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें। यदि आपके द्वारा किसी ऐसे शिक्षक का नाम विश्वविद्यालय की ओर भेजा जाता है। जिसका कि अनुमोदन परिनियम 28(17) के अंतर्गत कार्यपरिषद् द्वारा नहीं किया गया है। उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

भवदीय

(प्रो. आनन्द मिश्रा)
कुलसचिव/निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री संजय बरथरिया, प्रभारी विश्वविद्यालय बेबसाइट की ओर इस निर्देश के साथ कि, इसे विश्वविद्यालय बेबसाइट पर प्रसारित करें।
4. सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

सहायक निर्वाचन अधिकारी